प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

देश में खाद्यान्न उत्पादन की दरों में अन्तर

4429. **श्री राम जेठमलानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न अंचलों में खाद्यान्न उत्पादन की दरों में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न अंचलों में गेहूं, धान, दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों की अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन दरें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने न्यूनतम और अधिकतम उत्पादन दरों के बीच अंतर कम करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) खाद्यान्न उत्पादन की दर अर्थात् प्रति हैक्टेयर उत्पादकता एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है जो विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों, सिंचाई क्षमता, मृदा उर्वरता, आदानों के प्रयोग और अन्य संसाधन संबंधी सम्पन्नता पर निर्भर करता है। 1995-96 के दौरान गेहूं,चावल, दालों, मोटे अनाजों और सभी खाद्यान्नों के साथ-साथ तिलहनों की राज्य-वार उत्पादकता प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। फसलों की अधिकतम और न्यूनतम उत्पादकता करने वाले राज्य भी विवरण में इंगित किए गए हैं। (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न भागों में इन फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न फसलोन्मुखी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है अर्थात् गेहूं, चावल, तथा मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।

विवरण

1995-96 के दौरान गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दालों तथा सभी खाद्यान्नों तथा तिलहनों की राज्य-वार उत्पादकता

राज्य	गेहूं	चावल	मोटे अनाज	दाल	सभी खाद्यान्न	तिलहन
आंध्र प्रदेश	—	2499	1152	416	1719	918
असम	1108	1354	621	534	1306	515
बिहार	2018	1374	1567	620	1465	625
गुजरात	2220	1450	925	543	1094	741
हरियाणा	3692	2222	758	972 (अ.उ.)	2537	1282
हिमाचल प्रदेश	1435	1346	2006 (अ.उ.)	340 (न्यू.उ.)	1615	—
जम्मू व कश्मीर	1461	1863	1469	520	1541	424 (न्यू.उ.)
कर्नाटक	686 (न्यू.उ)	2380	1294	474	1292	685
केरल	—	1974	—	800	1902	601
मध्य प्रदेश	1614	1104	801	604	1020	870
महाराष्ट्र	1279	1689	845	503	879	775

राज्य	गेहूं	चावल	मोटे अनाज	दाल	सभी खाद्यान्न	तिलहन
उड़ीसा	—	1375	899	537	1088	522
पंजाब	3877 (अ.उ.)	3132	2000	824	3472 (अ.उ.)	1201
राजस्थान	2501	843 (न्यू.उ.)	417 (न्यू.उ.)	409	805	799
तमिलनाडु	—	3394 (अ.उ.)	1154	374	2148	1472 (अ.उ.)
उत्तर प्रदेश	2453	1867	1317	770	1886	855
पश्चिम बंगाल	2611	1997	1846	—	1985	780
समस्त भारत	2493	1855	941	552	1499	851

अ.उ. = अधिकतम उत्पादकता
न्यू.उ. = न्यूनतम उत्पादकता

.....

Varieties, Volume and value of Imported Seeds

4430. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the varities and types of high quality seeds which are imported in the country, their annual volume, value and the countries of origin;

(b) the steps taken for developing the seeds sector and to make available good quality seeds;

(c) the details of customs duty exemption given on import of specified cetegories of seeds; and

(d) whether this has boosted import of seeds?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) The details of seeds imported into the country, their annual volume, value and the countries of origin are given in the enclosed statement. (see below).

(b) The Government of India has introduced a New Policy on Seed Development in 1988 with the objective of making the best planting material available anywhere in the world to Indian farmers for increasing agriculture production and prodictivity. Subject to certain parameters, the policy facilitates more liberal import of seeds and planting materials.

The Government of India has made large investments for the development of the seeds sector through the National Seeds Project, Phase-I, II and III. Under this Project assitance has been provided for strengthening the Central and State level Seeds Corporations. Assistance has also been provided to State Seed Certification Agencies/State Seed Testing Laboratories for strengthening the quality control infrastructure and to instituions of ICAR/SAUs for strengthening facilities for breeder seed production and development of new varieties. The seeds sector has also been identified as a priority area for foreign investment in the Industrial Policy of 1991. A large number of Central Sector/Centrally sponsored schemes are in operation, which *interalia* promote the use of certified seed by farmers and popularize the use of new varieties.

(c) Government of India exempts basic as well as additional duties of customs, on import of planting materials, namely, oilseeds, seeds of vegetables, flowers and ornamental plants, tubers and bulbs of flowers, cuttings of saplings of flower plants, seeds or plants of fruits and seeds of pulses, subject to the condition that